

## प्रेस वृत्त

### कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा आश्रित हितलाभ का भुगतान

पटना, दिनांक : 26-05-2025

कर्मचारी राज्य बीमा निगम, बीमा आयुक्त (पूर्वी क्षेत्र), श्री प्रणय सन्हा, कर्मचारी राज्य - बीमा निगम बीमा, बीमा आयुक्त (मुख्यालय) श्री अनिल कुमार साहू, कर्मचारी राज्य बीमा निगम झारखंड क्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशक श्री राजीव रंजन एवं कर्मचारी राज्य बीमा निगम बिहार क्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशक, सीए. निरंजन कुमार द्वारा सादे समारोह में मेसर्स एफो टेको सोलूशन प्रा. ल. के अंतर्गत पंजीकृत बी मत व्यक्ति श्री टिंकू एस. के. जो वशाखापतनम में हेल्पर के पद पर कार्यरत थे उनकी आश्रिता पत्नी - बेबी खातून, पुत्री - आ लया खातून, नजमा खातून, नुसरत खातून एवं ईशान एस. के. को कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अंतर्गत आश्रित हितलाभ प्रदान किया गया और संवेदना व्यक्त की गयी।

स्व. टिंकू एस. के. की मृत्यु दिनांक 10-08-2023 को कार्य के दौरान रोजगार चोट के कारण हुई थी। वे परिवार में अकेले कमाने वाले थे व परिवार पूर्णतः आर्थिक रूप से उन पर निर्भर था। नियोजक द्वारा दुर्घटना रिपोर्ट भेजे जाने के पश्चात इसकी जांच की गयी तथा ई०एस०आई०सी० द्वारा आश्रितों के लिए मासिक पेंशन स्वीकृत किया गया। पेंशन के रूप में 569 रु. प्रतिदिन की दर से प्रतिमाह रु. 17,070/- आश्रितों को मिलेगा। दुर्घटना की तिथि से आज तक लगभग रु.341400/- रुपये का बकाया भुगतान भी उनके खाते में अंतरित किया जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि कार्य के दौरान व कार्यस्थल और निवासस्थान के मध्य आवागमन के कारण होने वाली दुर्घटना को कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के तहत रोजगार चोट के रूप में स्वीकृत करने का प्रावधान है जिसके अंतर्गत बी मत कर्मचारी की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो जाने पर उनके आश्रित परिवारजनों को ई० एस० आई० योजना के तहत वेतन का 90% तक मासिक आश्रित पेंशन दिया जाता है। इस सादे समारोह में अ भूषेक कुमार, सहायक निदेशक, पूर्वी क्षेत्र भी उपस्थित थे।

क्षेत्रीय निदेशक